चित्रकूट-पुलिस

(1). 05 चोरी की घटनाओं का खुलासा, 02 अन्तर्राज्जीय चोर गिरफ्तार, चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन, 12 लाख कीमत के चोरी के जेवरात, नकदी व अवैध तमंचा कारतूस बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में एसओजी व थाना कोतवाली कर्वी, चौकी शिवरामपुर की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की 05 घटनाओं का खुलासा व 12 लाख की कीमत के सोने चांदी के जेवरात 7200/- रुपये, चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन, 01 अदद तमंचा व 02 अदद कारतूस 32 बोर,चोरी करने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.मनीष कुशवाहा पुत्र स्व0 बुद्धसेन कुशवाहा निवासी सिरमौर थाना सिरमौर जनपद रीवा म0प्र0
2.सोनू उर्फ पुष्पेन्द्र कुशवाहा पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुशवाहा निवासी सेमरिया थाना सेमरिया जनपद रीवा0 म0प्र0

बरामदगीः-

(I).घटना में प्रयुक्त महिन्द्रा XUV कार रजि0 नं0 MP-09 CL-7733 व स्विफ्ट कार रजि0 नं0 MP-17 ZA-0712
(II).01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर
(III).चोरी के 7200/- रुपये
(IV).चोरी के सोने चांदी के जेवरात कीमत लगभग 12 लाख रुपये
(V). चोरी करने के उपकरण

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-

राम शैय्या मंदिर से भरतकूप जाने वाली सड़क, बहद ग्राम बिहारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट **दिनांक** 01.09.2024 **समय सुबह** 04.25 बजे

संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि **जनपद में बढ़ रही चोरी की घटनाओं** पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा चोरियों के खुलासे हेतु एसओजी,थाना कोतवाली कर्वी, चौकी शिवरामपुर की टीमों को लगाया गया था। एसओजी, कोतवाली कर्वी, चौकी शिवरामपुर की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनाँक 01.09.2024 को सुबह करीब 04.25 बजे मुखबिर की सूचना पर राम शैय्या मंदिर से भरतकूप जाने वाली सड़क से स्विफ्ट कार रजि0 नं0 MP-17 ZA-0712 में बैठे अभियुक्त 1.मनीष कुशवाहा पुत्र स्व0 बुद्धसेन कुशवाहा निवासी सिरमौर थाना सिरमौर जनपद रीवा म0प्र0 2.सोनू उर्फ पुष्पेन्द्र कुशवाहा पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुशवाहा निवासी सेमरिया थाना सेमरिया जनपद रीवा0 म0प्र0 को गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी से अभियुक्त मनीष कुशवाहा उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 32 बोर, 02 अदद कारतूस 32 बोर बरामद हुआ तथा दोनों के कब्जे से कुल नगदी 7200/- रुपये व गाड़ी की डिग्गी में सोने चांदी के जेवरात बरामद हुये। अभियुक्तों द्वारा पूंछताछ में बताया कि हम दोनों के पास दो कार हैं जिसमें स्विफ्ट कार से चोरी करने वाले मकान की रैकी करते हैं तथा XUV कार से जाकर चोरियां करते हैं। यह भी बताया कि दिनाँक 23/24.08.2024 की रात्रि को ग्राम बिहारा के एक घर में घुसकर चोरी की थी तथा इसके आलाव लगभग 20 दिन

पूर्व सेंट थामस स्कूल के पास हाइवे किनारे वाले मकान में चोरी की थी तथा 02 माह पूर्व तुलसी डिग्री कालेज के पीछे एक मकान में चोरी की थी। अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया कि हमारे पास एक और कार है जिसे हमने थोड़ी दूर सड़क के किनारे खड़ी कर रखी है, अभियुक्तों की निशा देही पर महिन्द्रा XUV कार रजि0 नं0 MP-09 CL-7733 बरामद की गयी जिसकी ड्राइवर के बगल वाली सीट के नीचे पायदान से सोने चांदी के जेवरात तथा पीछे की डिग्गी से 02 लोहे की रॉड बरामद की गयी। तुलसी डिग्री कालेज के पीछे हुयी चोरी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 380/2024 धारा 454,380 भादवि0 तथा अन्य बिहारा एवं सेंट थॉमस के पास मकान में हुयी चोरी के सम्बन्ध में क्रमशः मु0अ0सं0 552/2024 धारा 331(4),305 बीएनएस व मु0अ0सं0 520/2024 धारा 331(3),305 बीएनएस पंजीकृत है। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि चोरी करते समय हम तिजोरी का ताला तोड़ने के लिये बरामद रॉडों का प्रयोग करते हैं, अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि हम दोनों ने चोरी के रुपयों से ही महिन्द्रा XUV कार खरीदी है। पूंछताछ में अभियुक्तों द्वारा जनपदा बांदा के अतर्रा थाना क्षेत्र की चोरी की घटना एवं म0प्र0 के जनपद मैहर के थाना रामनगर क्षेत्र में की गयी चोरी की घटना का भी खुलासा किया है।

कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त मनीष कुशवाहा उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 557/2024 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है तथा चोरी का माल बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित सभी मुकदमों में सुसंगत धाराओं में बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

एसओजी टीमः-

1. निरीक्षक श्री एमपी. त्रिपाठी एसओजी प्रभारी
2. मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुशवाहा
3. मुख्य आरक्षी नीतेश समाधिया
4. आरक्षी पवन राजपूत
5. आरक्षी गोलू भार्गव
6. आरक्षी आशीष यादव
7. आरक्षी राघवेन्द्र सिंह
8. आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा
9. आरक्षी रोशन सिंह

थाना कोतवाली कर्वी की टीम

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह
2. उ0नि0 श्री गौरव तिवारी
3. उ0नि0 श्री पंकज तिवारी
4. मुख्य आरक्षी शशि कुमार
5. आरक्षी बहोरन सिंह

चौकी शिवरामपुर की टीम

1. चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी
2. उ0नि0 यूटी0 श्री कुंवर प्रखर सिंह
3. आरक्षी नरेन्द्र कुमार
4. आरक्षी श्यामू

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त मनीष कुशवाहा का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 45/2006 धारा 457,380 भादवि0 थाना सेमरिया जिला रीवा म0प्र0
2. मु0अ0सं0 328/2007 धारा 454,380 भादवि0 थाना रामपुर बघेलन जिला सतना म0प्र0
3. मु0अ0सं0 329/2007 धारा 454,380 भादवि0 थाना रामपुर बघेलन जिला सतना म0प्र0
4. मु0अ0सं0 37/2011 धारा 457,380 भादवि0 थाना रैपुरा जिला पन्ना म0प्र0
5. मु0अ0सं0 71/2011 धारा 457,380 भादवि0 थाना रैपुरा जिला पन्ना म0प्र0
6. मु0अ0सं0 91/2012 धारा 457,380,411 भादवि0 थाना सेमरिया जिला पन्ना म0प्र0
7. मु0अ0सं0 252/2012 धारा 379 भादवि0 थाना विश्वविद्यालय जिला रीवा म0प्र0
8. मु0अ0सं0 178/2015 धारा 457,380 भादवि0 थाना पवई जिला पन्ना म0प्र0

9.मु0अ0सं0 182/2016 धारा 457,380,411 भादवि0 थाना गूढ़ जिला रीवा म0प्र0
10.मु0अ0सं0 260/2018 धारा 454,380 भादवि0 थाना बिछिया जिला रीवा म0प्र0
11.मु0अ0सं0 06/2019 धारा 454,380,411 भादवि0 थाना विश्वविद्यालय जिला रीवा म0प्र0
12.मु0अ0सं0 118/2019 धारा 279,337,338 भादवि0 व 146 एसवी एक्ट थाना मऊगंज जिला रीवा म0प्र0
13.मु0अ0सं0 427/2019 धारा 457,380,411 भादवि0 थाना नागौद जिला सतना म0प्र0
14.मु0अ0सं0 76/2020 धारा 394,323,34,452,506 भादवि0 थाना सिरमौर जिला रीवा म0प्र0
15.मु0अ0सं0 25/2020 धारा 392 भादवि0 व 25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोटार जिला रीवा म0प्र0
16.मु0अ0सं0 415/2020 धारा 294,323,34 भादवि0 थाना सेमरिया जिला रीवा म0प्र0
17.मु0अ0सं0 41/2021 धारा 380,427,461 भादवि0 व ¾ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना सभापुर जिला सतना म0प्र0
18.मु0अ0सं0 157/2021 धारा 294,323,34,506 भादवि0 थाना गोविन्द गढ़ जिला रीवा म0प्र0
19.मु0अ0सं0 555/2022 धारा 279,337 भादवि0 थाना मनगवां जिला रीवा म0प्र0
20.मु0अ0सं0 39/2022 धारा 457,380,411 भादवि0 थाना पवई जिला पन्ना म0प्र0
21.मु0अ0सं0 12/2024 धारा 457,380 भादवि0 थाना गुढ़ जिला रीवा म0प्र0
22.मु0अ0सं0 380/2024 धारा 454,380 भादवि0 थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट
23.मु0अ0सं0 552/2024 धारा 331(4),305 बीएनएस थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट
24.मु0अ0सं0 520/2024 धारा 331(3),305 बीएनएस थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट
25.मु0अ0सं0 557/2024 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट

अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ सोनू कुशवाहा का अपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 427/2019 धारा 457,380,411 भादवि0 थाना नागौद जिला सतना म0प्र0
2. मु0अ0सं0 25/2020 धारा 392 भादवि0 व 25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोटार जिला रीवा म0प्र0
3.मु0अ0सं0 552/2024 धारा 331(4),305 बीएनएस थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट
4.मु0अ0सं0 520/2024 धारा 331(3),305 बीएनएस थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट
5.मु0अ0सं0 557/2024 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट

(2). जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी एन एवं पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने आज 2 सितंबर 2024 को होने वाली भाद्रमास की सोमवती अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस बल के साथ राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर सीतापुर चित्रकूट के सभागार में ब्रीफिंग की गई।

जिलाधिकारी ने कहा कि पूरे मेल को सकुशल संपन्न करने के लिए 7 जोन व 21 सेक्टर में बांटा गया है जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा 14 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 23 थाना प्रभारी निरीक्षक, 25 निरीक्षक, 235 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, 15 महिला उप निरीक्षक, 635 हेड कांस्टेबल, दो पीएससी कंपनी की डियूटी लगाई गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके मेला में भ्रमणशील रहकर मेला को सकुशल संपन्न कराएगे। आप सभी लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं पूर्व में भी अमावस्या मेला को संपन्न कराया है कोई समस्या मेला के दौरान आए तो तत्काल अवगत कराए उसका निस्तारण कराया जाएगा। बरसात को देखते हुए सतर्कता रखते हुए अपने-अपने क्षेत्र में तैनात रहकर दायित्वों का निर्वहन करते हुए

मेला को सकुशल संपन्न कराए। उन्होंने कहा कि ड्यूटी स्थल पर जब तक आपका प्रतिस्थानीय न आ जाए तब तक आप अपनी ड्यूटी स्थल से ना हटे। सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट आपस में कम्युनिकेशन बनाए रखें कहा कि महिला, बच्चे व बुजुर्ग मेले में आएंगे इन पर विशेष ध्यान दें किसी प्रकार की दुर्घटना न होने पाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं हम लोगों का दायित्व है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए मेल को सकुशल संपन्न कराए उन्होंने कहा कि श्रद्धालु जब अपनी गन्तव्य को जाते हैं तो जिला प्रशासन के कार्यों को बताते ।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 21 सेक्टर में विभाजित किया गया है कहा कि मेले में लगे जोनल मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित पुलिस अधिकारी तैनात किया गया है यह आप लोगों के इम्तिहान का समय है इसे सकुशल संपन्न कराए, पर्याप्त मात्रा में मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस बल भी लगाया गया है। आप लोग अमावस्या मेला प्रत्येक माह में कराते है उन्होंने कहा कि इस बार मेले में लगभग 15 लाख श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान लगाया गया है उनको सुगमता के साथ उनके गंतव्य पर पहुंचना हम लोगों का दायित्व है मुस्तैदी के साथ मेला को संपन्न कराए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपनी अपनी ड्यूटी स्थल पर तैनात रहकर मेला को सकुशल संपन्न करेंगे उन्होंने मध्य प्रदेश के अधिकारियों से भी कहा कि पीली कोठी पर कोई भी वाहन न खड़ा होने पाए इसके लिए अपने अधिकारियों को निर्देश अवश्य दें वहां पर किसी भी दशा में जाम नहीं लगना चाहिए। सभी पुलिस बल के अधिकारी कर्मचारी बरसात को देखते हुए रेनकोट की भी व्यवस्था करें जिन लोगों की रामघाट पर ड्यूटी लगी है वह सतर्क दृष्टि रखते हुए अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे पार्किंग स्थलों पर अगर पानी भरता है तो सीतापुर से शिवरामपुर की सड़क पर पार्किंग की व्यवस्था सड़क के किनारे कराई जाएगी बैरियर में लगे लोग जो वाहन जहां तक जाने का प्रवेश है वहां तक ही प्रवेश कराया जाए उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालुओं से मानवीय दृष्टिकोण अपनाए विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें आप लोग अतिरिक्त सेवा भाव से कार्य करके मेला को सकुशल संपन्न कराए। तत्पश्चात जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने राम शैय्या एवं जलेबी वाली गली का भ्रमण कर मेला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिशासी अधिकारी कर्वी को निर्देशित किया कि राम शैय्या में जो रैन बसेरा बनाया गया है उस पर फ्री ठहरने का रैन बसेरा लिखवाये। उन्होंने यह भी कहा कि यहां पर तीन-चार टेंट और अतिरिक्त लगे जिससे कि श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था हो सकें। उन्होंने कहा कि पार्किंग स्थल पर बैनर भी लगवाए। जलेबी वाली गली का निरीक्षण करते समय उन्होंने अधिशासी अधिकारी कर्वी व उप जिलाधिकारी कर्वी व चौकी प्रभारी सीतापुर को निर्देशित किया कि जो दुकाने बाहर लगाई गई है उसे तत्काल अंदर कराए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चन्द्र निगम, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी , मध्य प्रदेश के अधिकारी सहित जोनल, सेक्टर पुलिस अधिकारी एवं पुलिस बल मौजूद रहा।

(3). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 01.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को

असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(4). आज दिनाँक 01.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री इमरान खान व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 455/2021 धारा 323,504,506 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त पुनीत पुत्र मथुरा निवासी खटवारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री इमरान खान
2. आरक्षी प्रकाश मिश्रा

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्यामप्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रविकांत राय व राजेश राय तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त 1. आकाश पुत्र राधे 2. रामबाबू पुत्र विफइया निवासी बनवारीपुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर,02 अदद जिंदा कारतूस व 03 अदद कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 315 बोर ,02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व 03 अदद जिंदा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री रविकांत राय थाना रैपुरा

2.उ0नि0 श्री राजेश राय थाना रैपुरा

3.आरक्षी चंद्रभूषण राय

4.आरक्षी अंकित शुक्ला

(7). आज दिनाँक 01.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में उप निरिक्षक एलआईयू श्री शिवसागर तिवारी के नेतृत्व में एस चेक टीम बांदा, बीडीएडएस टीम जीआरपी प्रयाग राज डॉग स्क्वॉयड व एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत बस स्टैंड,रामघाट ,परिक्रमा मार्ग आदि स्थानों पर सघन चेकिंग की गई।